विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 973, सदस्य श्री केशव देसाई
उत्तर देने का अंतिम दिनांक- 18.07.2025
सदन में उत्तर देने का दिनांक- 29.07.2025

परिशिष्ट - अ

[29/7/2025]

प्रश्न क्र. [क्र. 973]

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए- /471 /2025 **भोपाल, दिनांक 17/03/2025**

प्रति,

सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, मध्यप्रदेश
भोपाल

विषय : माध्यमिक शिक्षा मण्डल में संविदा पर नियुक्त विधि सलाहकार के वेतन निर्धारण के संबंध में।

-------------- 0000 ----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आदेश क्रमांक/प्रशा./स्था./2698-99, भोपाल दिनांक 08/08/2024 से श्री अजीत सिंह की विधि सलाहकार के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति की गई है जिसके क्रम में श्री अजीत सिंह द्वारा दिनांक 08.08.2024 को मण्डल में कार्यभार ग्रहण किया गया।

उल्लेखनीय है कि संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण **'मध्यप्रदेश सेवानिवृत न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 "** की कण्डिका 11 के पैरा 2 के अन्तर्गत नियम 4 (2)(3) किया जाता है जिसमें उल्लेखित है कि विहित पदो पर सेवानिवृत्ति न्यायधीशों की नियुक्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय मंहगाई भत्ते मे से देय पैंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा।

मण्डल में नियुक्त विधि सलाहकार अजीत सिंह ओल्ड पैंशन के अंतर्गत सेवानिवृत्त न होकर न्यू पैंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुये है किन्तु 'मध्यप्रदेश सेवानिवृत न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 में एनपीएस योजना के तहत संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में कोई नियम/निर्देश उपलब्ध नहीं है।

अतः अनुरोध है कि मण्डल में संविदा पर नियुक्त विधि सलाहकार की पूर्व सेवायें एनपीएस योजना के अधीन होने की स्थिति में वेतन निर्धारण के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृष्ठांकन प्रशा/स्था/ए- 1472/2025 **भोपाल, दिनांक 17/03/2025**

प्रतिलिपि :-

1. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।
2. उपसचिव ,मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय,भोपाल की ओर आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/1/0019/2025-GAD-3, **भोपाल, दिनांक**

प्रति,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
भोपाल (म.प्र.)

विषय: माध्यमिक शिक्षा मण्डल में संविदा पर नियुक्त विधि सलाहकार के वेतन निर्धारण के संबंध में।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक प्रशा./स्था./ए-/471/2025, दिनांक 17.03.2025.

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। जिसके द्वारा संविदा पर नियुक्त श्री अजीत सिंह जो कि ओल्ड पेंशन के अंतर्गत सेवानिवृत्त न होकर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुये हैं। ऐसी स्थिति में वेतन निर्धारण के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लेखित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3/3/02/3/एक, दिनांक 02 जून, 2006 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार प्रशासकीय विभाग के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Kumari Suman Raikwar
Date: 09-04-2025
11:05:31

(सुमन रायकवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

File No. 1/1/0019/2025-GAD-3-01(GAD) (Computer No. 468867)
Generated from eOffice by RAM NARESH PRASAD, AG-2(RNP-GAD(SEC-GAD-3)), ASSISTANT GRADE - 2, General Administration Department on 17/07/2025 01:32 pm